निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 फाल्गुन 1940 (श0)

(सं0 पटना 280) पटना, सोमवार, 25 फरवरी 2019

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

25 फरवरी 2019

सं० एल0जी0-01-03/2019/1575/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल **दिनांक 23 फरवरी, 2019** को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जितेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

[बिहार अधिनियम 7, 2019]

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) अधिनियम, 2019

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952 का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत–गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्न रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ ।–** (1) यह अधिनियम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952 की धारा–4 की उपधारा (4) का संशोधन ।– बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उपधारा (4) निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगीः–

"(4) उप धारा (2) के अधीन रहते हुए, समिति के पदेन सदस्य से भिन्न अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल राजपत्र में उनके नामों के प्रकाशन की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा सरकार द्वारा यथानिदेशित अगले आदेश तक (जो पहले हो) होगा।"

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जितेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

25 फरवरी 2019

सं० एल०जी०–01–03/2019/1576/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 23 फरवरी **2019** को अनुमत **बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) अधिनियम, 2019** **(बिहार अधिनियम 7, 2019)** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जितेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

[Bihar Act 7, 2019]

The Bihar School Examination Board (Amendment) Act, 2019

AN

ACT

To Amend The Bihar School Examination Board Act, 1952

Be it in enacted by the Legislature of the State Bihar in the Seventieth year of the Republic of India as follows :-

1. ***Short title, extent and commencement.—*** (1) This Act may be called The Bihar School Examination Board (Amendment) Act, 2019.

(2) It shall extend to whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. ***Amendment of Sub-Section (4) of Section.—* 4 of the Bihar School Examination Board Act, 1952.** Sub-section (4) of section-4 of the Bihar School Examination Board Act, 1952 shall be substituted by the following :-

"(4) Subject to the provision of sub-section (2), the term of office of the Chairman and the members other than the ex-officio member, shall be for a period of three years from the date of the publication of their names in the Official Gazette or till further order as directed by the State Government (which ever is earlier)."

By Order of the Governor of Bihar,
Jitendra Kumar,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 280-571+400-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in